सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 25 राँची, बुधवार 22 आश्विन, 1937 (श०)

13 सितम्बर, 2017 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 828-841

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

झारखंड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 अगस्त, 2017

संख्या खण्ड-01 स्था०-03/2017-2119 /वि०स०-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना "संख्या-08/नीति- 01/2015 का० 1011, दिनांक 3 फरवरी, 2016" के भाग-|| के कंडिका 06 पर वर्णित पदों के वर्गीकरण से सम्बन्धित क्रम सं०- 01 से 04 तक को पद्वर्ग समिति के अनुशंसा के प्रत्याशा में निम्न प्रकार से अंगीकृत किया जाता है:-

क्रम सं	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
01	02	03
01.	निम्नलिखित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन निकासी वाले सभी पद-पी०बी० IV रु० 37400-67000,ग्रेड वेतन रु० 10,000/- 8,900/- 8,700/- पी०बी०-III रु० 15,600- 39,100,ग्रेड वेतन रू० 7600/- 6600/- और 5400/-	समूह "क"
02.	निम्नलिखित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन निकासी वाले सभी पद-पी०बी०-II रु० 9300–34800, ग्रेड वेतन रु० 5400/- 4800/- 4600/- और 4200/-	समूह "ख"
03.	निम्नलिखित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन निकासी वाले सभी पद-पी०बी०-I रु० 5200–20,200,ग्रेड वेतन रु० 2800/- 2400/- 2000/- 1900/- और 1800/-	समूह "ग"
04.	निम्नलिखित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन निकासी वाले सभी पद-आई०एस० रु० 4440–7440, ग्रेड वेतन रु० 1800/- और 1650/-	समूह "घ"

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के वही अर्थ होंगे जो वित्त विभाग के संकल्प सं०- 660,दिनाक 28 फरवरी, 2009 में उनके लिये समनुदेशित हो |

(ii)- यह संशोधन झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा) संशोधित नियमावली,2017 का अंश होगा एवं नियमावली के अनुसूची में उक्त पदों के वर्गीकरण में यथा स्थान पर अंकित किया जाता है |

मा० अध्यक्ष महोदय के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची |

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

12 जून, 2017 ई०।

संख्याः 12/पद०-05-01/2013 का० 6987-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री कमलेश कुमार, आप्तसचिव, राज्य वित्त आयुक्त, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना संख्या 6131, दिनांक 11 मई, 2017 के द्वारा कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची में स्थानांतरित करते हुए अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग, झारखण्ड के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है ।

विदित हो कि श्री कमलेश कुमार वर्तमान विभाग में अक्टुबर, 2005 से पदस्थापित है। अतएव इनके स्थानांतरण संबंधी अधिसूचना को स्थगित किया जाना यूक्तिसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः श्री कमलेश कुमार आप्तसचिव राज्य वित्त आयुक्त, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित विभाग/कार्यालय में योगदान करने हेतु तत्काल प्रभाव से स्वतः विरमित किया जाता है ।

2. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

22 जून, 2017 ई०।

संख्या-1/विविध-841/2016 का॰ -7441-- श्रीमती मीना ठाकुर, भा.प्र.से. (झाः2004), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 20 जून, 2017 से 23 जून, 2017 तक कुल 03 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के साथ दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 जून, 2017 ई०।

संख्या-1/विविध-815/2017 का.- 7485 -- निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय,योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार झा, भा.प्र.से. (झाः2003) के दिनांक 14 जून, 2017 से अवकाश पर रहने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री प्रशांत कुमार, भा.प्र.से. (झाः2004),विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय,योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई, 2017

संख्या-13/वरीय नि० सं०-91/2014 का०-8317-- श्री अरुण कुमार गुप्ता नं०-II, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गोड्डा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 500/- रूपये की अतिरिक्त वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री गुप्ता की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई, 2014 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमेश चन्द्र सिन्हा
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 मई, 2017

संख्या-1/विविध-815/2017 का.- 6425 -- निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री विजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झाः2003) (निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड) के दिनांक 23 मई, 2017 से अवकाश पर रहने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री जटा शंकर चैधरी, भा.प्र.से. (झाः2005), अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड अपने कार्यों के अतिरिक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड एवं निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखौरी शशांक सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

31 अगस्त, 2017

संख्या-5/स.भू. गिरिडीह (JNV)-45/17-4465/रा०

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **29 अगस्त, 2017** में मद संख्या-**19** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत अंचल-धनवार, मौजा-ओरखार, थाना नं०-**154,** खाता नं०-**58** प्लॉट नं०-**02,** रकबा-**17.85** एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म परती कदीम भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में ।

आदेशः- **स्वीकृत ।**

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, गिरिडीह प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।

iii) अन्य सभी शर्तें इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

iv) अनु०-यथोपरि ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ निःशुल्क हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरणी

क्रम	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01	02/2016-17	धनवार	ओरखार	154	58	02	17.85	गैरमजरूआ खास परती कदीम
						कुल-	**17.85**	

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

31 अगस्त, 2017

संख्या-5/स०भू० चतरा (KVS)-143/17-4466/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **29 अगस्त, 2017** में मद संख्या-**04** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में चतरा जिलान्तर्गत सिमरिया अंचल के मौजा-बनहे एवं कुट्टी के विभिन्न थाना सं०, खाता सं० एवं प्लॉट सं० में अन्तर्निहित कुल रकबा-**7.47** एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म जंगल-झाड़ी एवं दान-पत्र से प्राप्त भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न- अनुलग्नक-**I**) केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, चतरा प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातो एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) अधियाची विभाग को खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों का पालन करना होगा ।

iii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

iv) प्रस्ताव में सन्निहित गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन के पूर्व अधियाची विभाग वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा उल्लेखित शर्तो का अधियाची विभाग को पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा ।

v) विद्यालय निर्माण के क्रम में पाँच वृक्ष पातित होंगे । यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो उसके दोगुणे वृक्ष लगाने होंगे। तभी पातन की अनुमति दी जाएगी ।

vi) वन क्षेत्र में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करना होगा ।

vii) नक्शा पर दर्शाये गये रकबा से अधिक क्षेत्र में विद्यालय निर्माण न हो ।

viii) नये वन क्षेत्र (फ्रेश फोरेस्ट एरिया) को खंडित नहीं किया जाएगा ।

ix) अपयोजित होने वाले वन भूमि उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

x) प्रस्ताव में सन्निहित दान पत्र से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सिमरिया को प्राप्त भूमि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भू-हस्तांतरण के पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सिमरिया/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा ।

अनु०-यथोपरि । झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक ।

केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी-

क्रम	**अभिलेख सं०**	**अंचल**	**मौजा**	**थाना सं०**	**खाता सं०**	**प्लॉट सं०**	**रकबा (एकड़ में)**	**भूमि का किस्म**
01	03/2017-18	सिमरिया	बनहे	156	60	808	2.40	गैरमजरूआ खास जंगल झारी
02	04/2017-18	सिमरिया	बनहे	156	16, 40	813, 814, 815	1.15	दान पत्र से प्राप्त भूमि
			कुट्टी	151	01,45, 03, 13, 136	01,02, 03,04, 22,570,	3.92	
						कुल-	**7.47**	

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

31 अगस्त, 2017

संख्या-5/स०भू० गिरिडीह (KVS)-129/17-4467/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **29 अगस्त, 2017** में मद संख्या-**07** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत गिरिडीह अंचल के मौजा-सुग्गासार, थाना सं०-**65,** खाता सं०-**102,** प्लॉट सं०-**674** में अन्तर्निहित कुल रकबा-**7.71** एकड़ (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**I**) गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम भूमि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, गिरिडीह प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातो एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) अधियाची विभाग को खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों का पालन करना होगा ।

iii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

अनु०-यथोपरि।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक ।

केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी-

क्रम	**अभिलेख सं०**	**अंचल**	**मौजा**	**थाना सं०**	**खाता सं०**	**प्लॉट सं०**	**रकबा (एकड़ में)**	**भूमि का किस्म**
01	01/2014-15 05/2015-16 LR-07/2017-18	गिरिडीह	सुग्गासार	65	102	674	7.71	गैरमजरूआ खास परती कदीम
						कुल-	**10.00**	

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

31 अगस्त, 2017

संख्या-5/स०भू० कोडरमा (KVS)-128/17-4468/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **29 अगस्त, 2017** में मद संख्या-**06** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में कोडरमा जिलान्तर्गत कोडरमा अंचल के मौजा-चन्द्रोडीह, थाना सं०-**290,** खाता सं०-**17,** प्लॉट सं०-**693** में अन्तर्निहित कुल रकबा-**10.00** एकड़ (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**I**) गैरमजरूआ खास किस्म परती पत्थर भूमि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, कोडरमा प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातां एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) अधियाची विभाग को खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों का पालन करना होगा ।

iii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

अनु०-यथोपरि ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक ।

केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी-

क्रम	**अभिलेख सं०**	**अंचल**	**मौजा**	**थाना सं०**	**खाता सं०**	**प्लॉट सं०**	**रकबा (एकड़ में)**	**भूमि का किस्म**
01	02/2017-18	कोडरमा	चन्द्रोडीह	290	17	693	10.00	गैरमजरूआ खास परती पत्थर
						कुल-	**10.00**	

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 25--50 ।